



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 27.02.2021

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

थाना आदर्शमण्डी पर पंजीकृत मु0अ0स0 48/2021 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त अमित पुत्र सतवीर निवासी ग्राम सल्वा माजरा थाना बाबरी जनपद शामली को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

दिनांक 26.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर अलग-अलग कार्यवाहियों में 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- अजय कुमार पुत्र बलकेरी निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2- बुटा सिंह पुत्र अंग्रेज उर्फ गुरमेज निवासी ग्राम सींगरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3- सुरेन्द्र पाल पुत्र निशान सिंह निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- अवैध कच्ची शराब 25 लीटर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2- हे0का0 शहजाद थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3- का0 सनोज थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4- का0 राहुल थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना थानाभवन

थाना थानाभवन, गढीपुख्ता पुलिस एवं एसओजी की लुटेरों से हुई मुठभेड़ व थानाभवन के ग्राम जाफरपुर में हुई लूट की घटना में फरार 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी हुई नकदी, टैबलेट आदि एवं अवैध हथियार बरामद ।

दिनांक 23.02.2021 को शाम करीब 07.00 बजे प्रिंस पुत्र वंशी निवासी ग्राम विधाना अलेवा जनपद जिन्द हरियाणा, जो करनाल हरियाणा स्थित भारत फाइनेन्स इनक्लूजन लिमिटेड कम्पनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, ग्राम बूटा से फाइनेन्स के पैसों का कलेक्शन कर करनाल हरियाणा मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहा था, कि जाफरपुर फैक्ट्री के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने करीब एक लाख रुपये, 2 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, टैब, बायोमैट्रिक मशीन आदि लूट लिए थे। घटना के बाद सूचना पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा लुटेरों की धरपकड़ हेतु जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिससे घटना के कुछ समय बाद ही दिनांक 24.02.2021 को लूट की घटना को अंजाम देने वाले 02 लुटेरों को थाना थानाभवन, थाना गढीपुख्ता पुलिस व एसओजी द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल, लूट की धनराशि के 59000/- रुपये की बरामदगी हुई थी एवं अवैध हथियार मिले थे। लूट में शामिल गिरफ्तार लुटेरों के दो साथी मुठभेड़ के दौरान निकल भागने में कामयाब रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी थानाभवन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। थाना थानाभवन पुलिस द्वारा फरार दोनों लुटेरों की गिरफ्तार के लिए सतत प्रयास किये जा रहे थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 27.02.2021 को करनाल के फाइनेन्स कर्मियों के साथ हुई लूट की घटना के शेष दो बचे लुटेरों को सूचना पर जाफरपुर के जंगल से घेरबन्दी कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार दोनों लुटेरों से लूट की धनराशि के शेष बचे 50000/- रुपये, एक टैबलेट आदि तथा अवैध हथियार बरामद हुए हैं। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में गिरफ्तार एवं गिरफ्तार कर जेल भेजे गये तथा आज की गिरफ्तारी के बाद बदमाशों के द्वारा लूटी गई सम्पत्ति की थाना थानाभवन पुलिस द्वारा शत प्रतिशत बरामदगी की गई है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- गुफरान उर्फ गुफू पुत्र अशफाक निवासी बूटा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली
- 2- जावेद पुत्र आस मौहम्मद निवासी धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1- मु0अ0सं0 45/21 धारा 394, 411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली ।

2- मु0अ0सं0 46/21 धारा 307 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1- लूटी हुई नकदी के 50000/- रुपए ।

2- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस ।

3- लूटा हुआ एक टैबलेट सैमसंग कम्पनी ।

4- लूटा हुआ एक बैग (एक बायोमैट्रिक मशीन, एक पर्स, एक पैनकार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेन्स, एटीएम, एक रशीद बुक आदि)

